

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

कार्यालय तहसीलदार सहाय सपोहरा (राज0)

दिनांक 17/6/99

क्रमांक 1526  
17/6/99

## जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सहेश कुमार भीना  
सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री जगन लाल भीना  
गांव/नगर सखावता जिला/डिवीजन डोरा क्षेत्र राजस्थान  
जाति/समुदाय भीना का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम, 1971; और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किए गये अनुसार।
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970



श्री/श्रीमती/कुमारी जगन लाल भीना और/अथवा उसका परिवार सखावता जिला/डिवीजन डोरा राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।  
स्थान- सखावता  
दिनांक 16/6/01

80 तहसीलदार  
तहसीलदार (मोहर)  
तहसील सपोहरा (जयपुर)

● कृपया उन शब्दों को काट दीजिए जो लागू नहीं होते।

विशेष- यहां पर प्रयुक्त 'सामान्यतया रहता है', का अर्थ वही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

द्वारा सत्यापित